न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 92/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डिस्ट्रीयल एरिया, जंयपुर– 302020

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मदन सिंह पालावत पुत्र अम्बादान सिंह** जाति चारण निवासी चारण मौहल्ला, वार्ड नम्बर 08, वाया कांवट तह. खण्डेला, नीमकी, सीकर हाल निवासी पट्टा नम्बर 48, ग्राम पंचायत बासडी पंचायत समिति खण्डेला जिला सीकर–332708
2. **सुरज कंवर पत्नी मदन सिंह** जाति चारण निवासी चारण मौहल्ला, वार्ड नम्बर 08, वाया कांवट तह. खण्डेला, नीमकी, सीकर–332708
3. **हनुमान सिंह पालावत पुत्र मदन सिंह** जाति चारण निवासी नीमकी, तह. खण्डेला जिला सीकर–332708

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

निर्णय

दिनांकः 23 दिसम्बर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विजय सिंह तंवर** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **मदन सिंह पालावत पुत्र अम्बादान सिंह, सुरज कंवर पत्नी मदन सिंह** एवं **हनुमान सिंह पालावत पुत्र मदन सिंह** की

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **मदन सिंह पालावत पुत्र अम्बादान सिंह** के स्वामित्व की बंधक **सम्पत्ति पट्टा नम्बर 48, ग्राम पंचायत बासडी, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 176.76 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में स्वयं का चौक व उसके बाद आम रास्ता, पश्चिम दिशा में स्वयं का नोहरा व खाली भूखण्ड, उत्तर दिशा में जीवनदान/सुरजदान का खाली भूखण्ड एवं दक्षिण दिशा में स्वयं का खाली भूखण्ड स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **रू. 99,000/– (अक्षरे रूपये निन्यानवें हजार)** एवं **रू. 5,00,000/– (अक्षरे रूपये पांच लाख) कुल रू. 5,90,000/– (अक्षरे रूपये पांच लाख नब्बे हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **06.07.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **06.07.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **मदन सिंह पालावत पुत्र अम्बादान सिंह, सुरज कंवर पत्नी मदन सिंह** एवं **हनुमान सिंह पालावत पुत्र मदन सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **मदन सिंह पालावत पुत्र अम्बादान सिंह** के स्वामित्व की बंधक **सम्पत्ति पट्टा नम्बर 48, ग्राम पंचायत बासडी, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 176.76 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में स्वयं का चौक व उसके बाद आम रास्ता, पश्चिम दिशा में स्वयं का नोहरा व खाली भूखण्ड, उत्तर दिशा में जीवनदान/सुरजदान का खाली भूखण्ड एवं दक्षिण दिशा में स्वयं का खाली भूखण्ड स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **23 दिसम्बर, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर